



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2019/चैत्र 14, 1941

No. 115]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2019/CHAITRA 14, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 04 अप्रैल, 2019

सं. 01/2015-20

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.16 में संशोधन के संबंध में।

फा.सं. 01/91/180/18/ए एम-17/ईसी.—प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.16 (क) में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं। (किए गए परिवर्तन बड़े अक्षरों में हैं)

2. विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.16 (क) की क्र. सं. (i) को निम्नानुसार पढा जाएगा।

क्र. सं.	प्राधिकार पत्र का प्रकार	वैधता अवधि
(i)	प्रतिबंधित वस्तुओं (गैर-स्कोमेट) हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र	24 महीने

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.16 (क) को प्रतिबंधित वस्तुओं (गैर-स्कोमेट) हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने करने हेतु संशोधित किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 4th April, 2019

No. 01 /2015-20**Subject: Amendments in Para 2.16 of Hand Book of Procedures of FTP 2015-20— Regarding**

F. No. 01/91/180/18/AM-17/EC— In exercise of the powers conferred under paragraph 2.04 of the Hand Book of Procedure, the Directorate General of Foreign Trade, hereby makes amendments in para 2.16 (a) of Hand Book of Procedures with immediate effect. **(Changes made are in Bold Letters)**

2. The revised para 2.16 (a) Sr. No. (i) of the Hand Book of Procedures of FTP 2015-20 would be read as under:-

Sr. No.	Type of Authorisation	Validity period
(i)	Export Authorisation for restricted (Non-SCOMET) goods	24 Months

3. Effect of this Public Notice

Para No. 2.16 (a) of HBP of FTP 2015-20 has been amended to enhance the validity period of export authorisation for restricted (Non-SCOMET) goods from 12 months to 24 months.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.